

# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी मीना विपक्षी भगवान  
 किस्म मुकदमा 53,88,188/2024 पत्रावली संख्या 41/24 सन \_\_\_\_\_

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
---------	-----------------	---

14/10/24  
 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई।  
 प्रति./विपक्षी/रेस्पों. को जरिये सम्मन/  
 नोटिस तलब किये जाकर पत्रावली बाद  
 तलबी दि. 07/11/24 को पेश हो।

*my*  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
 (फास्ट ट्रेक) मावली

07/11/24 पत्रावली पेश हुई आदि. वादी  
 उप. 1 प्र. सं. 1 एवं 2 उप. 1 प्र. सं. 3 की प. 7.  
 आदि. की फिलीप व 101 व आदि. की वारी,  
 पत्रावली वास्तव में पेश करने वकालत पत्र/  
 एवा. व. तलबी दिनांक 09/12/24  
 को पेश हो।

उ.प. 1, 2 कि करके  
 वकालत पत्र  
 भगवान  
 पत्रावली संख्या 3  
 वा करके उ.प.  
 नोटिस आदि

01/12/24  
 वकालत पत्र/प्रतिवादी उप. वकालत पत्र/प्रतिवादी  
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः 07/12/24  
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 10/12/25  
 को पेश हो।

*my*  
 (SDO) मावली

10/12/25  
 वकालत पत्र/प्रतिवादी उप. वकालत पत्र/प्रतिवादी  
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः 24/12/25  
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 24/12/25  
 को पेश हो।

*my*  
 (SDO) मावली

24/12/25  
 वकालत पत्र/प्रतिवादी उप. वकालत पत्र/प्रतिवादी  
 के लिये मौका चाहते हैं। अतः 21/1/26  
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 21/1/26  
 को पेश हो।

*my*  
 SDO मावली



21/5/25  
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप।  
 उ.स. उ मय अधिवक्ता को निरन्तर  
 आवाजे दिलवाई गई। अनुपस्थित रहे।  
 अतः अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक तरफ  
 कार्यवाही अफिल में लाई जाती है। पत्रावली वास्तव  
 तलवी दिनांक 16/5/25 को पेश हो

16/5/25  
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।  
 उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का  
 बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य  
 स्थगित रखने/अधिकांसी जी आज्ञा/समाप्त/  
 भ्रमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश  
 के क्रम में दिनांक 20/6/25 को पेश हो।  
 8/0  
 1

20/06/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीया  
 मय स्वयं वादीया अनुपस्थित। अधिवक्ता  
 वादीयां मय स्वयं वादीयां को बार-बार  
 आवाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00PM  
 हो चुके हैं। वादीयां स्वयं एवं उनके  
 अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। अतः  
 अधिवक्ता वादीयां मय स्वयं वादीयां अनुपस्थित  
 रहने पर वादीयां का वाद अदम हाजरी  
 अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।  
 पत्रावली फ़सल शुमार डेकर नम्बर से  
 कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
 (फास्ट ट्रेक) नवावली